न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 34/2023 **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट**

शंकरलाल पुत्र किशनलाल जाति ब्राहमण निवासी गनेडी तहसील नेछवा जिला–सीकर

बनाम

तहसीलदार, नेछवा जिला सीकर

–: आदेश :– **दिनांक : 21.10.2024**

अधिवक्ता हारून अहमद ने प्रार्थना पत्र अं0धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार नेछवा से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार नेछवा से रिपोर्ट प्राप्त। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आदेश जारी किये जाने बाबत निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार नेछवा की रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2024 /1543 दिनांक 25.07.2024 के अनुसार जमाबंदी संवत् 2076–79 ग्राम मंगलूणा, पटवार हल्का मंगलूणा, भू0अ0नि0 मंगलूणा तहसील नेछवा जिला सीकर के खाता संख्या 175, 174, 393 में **शिवकुमार पुत्र किशनलाल** के स्थान पर '' **शंकरलाल पुत्र किशनलाल** '' दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में उल्लेखित पूर्व नाम **शिवकुमार पुत्र किशनलाल** से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नेछवा

Scanned with CamScanner